प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिएं)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 19-उदयपुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि—

श्री अर्जुनलाल मीणा (नाम) 6ए—34 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी पानेरियों की मादडी से.नं. 9 वी आई पी कोलोनी उदयपुर (राज.) (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडे किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः उदयपुर

दिनांकः 23 मई 2019

स्थित अगिक सम् स्था जिला कलक्टर एवं जिला मजिल्द्रेट जिला मजिल्द्रेट उदयपुरो

(आनन्दी) रिटर्निंग ऑफिसर 19—उदयपुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर) (आनन्दी)

रिटर्निंग आफिसर 19-उदयपुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर)

FORM 21C (See rule 64) (For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the **19-Udaipur (ST) Parliamentary Constituency** in Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(Name) ARJUNLAL MEENA

(Address) 6A-34 HOUSING BOARD COLONY PANERIYO KI MADARI SEC. NO. 9 VIP COLONY UDAIPUR (RAJ.)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Udaipur Date - 23rd May 2019



(Anandhi)
Returning Officer
19-Udaipur (ST) Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate, Udaipur)

(Anandhi)
Returning Officer
19-Udaipur (ST) Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate, Udaipur)